

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जबलपुर, जिला जबलपुर (म0प्र0)

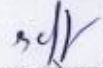
:- आदेश :-

क्र.-क्यू/सी.जे.एम./2025

जबलपुर, दिनांक-02.06.2025

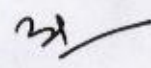
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर एवं अन्य प्रभारी अधिकारी के ग्रीष्म अवकाश पर होने से मैं अरुण गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर तृतीय प्रभारी अधिकारी की हैसियत से **माह जून 2025** में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार ड्यूटी लगाता हूँ। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य प्रातः **10.30 बजे से 11.00 बजे** के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करेंगे।

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री फरहान मसूद कुरैशी	02.06.2025
2	श्री जगमोहन सिंह	03.06.2025
3	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	04.06.2025
4	श्रीमती वंदना सिंह	05.06.2025
5	सुश्री श्वेता खरे	06.06.2025
6	श्रीमती मीनाक्षी ददेलिया खण्डेलवाल	09.06.2025


(अरुण गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर

प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके ड्यूटी दिनांक पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।
- 3- उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट **नियत दिनांक को अवकाश पर रहते हैं** तो उक्त दिनांक की ड्यूटी **सुश्री अंजली राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** निष्पादित करेंगी।
- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर से इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनाकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- कम्प्यूटर कक्ष की ओर सूचनार्थ।


(अरुण गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर